

✓

(51) SC ST  
4-02-01

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
// आदेश //

(49)

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 2006

क्रमांक एफ 3-34/2004/10-1: राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8,000-275-13,500 में पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर पदस्थ करता है :-

अ क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1	श्री बी.बी.सिंह	प.अ.वीरपुर (सा.) सीहोर (सा.) वन मंडल।	स.व.स. कार्या.प्र.मु.व.स. भोपाल।
2	श्री एस.के.कटारे	प.अ.उज्जैन (सा.) उज्जैन (सा.) व.मं।	स.व.स. कार्या.प्र.मु.व.स. भोपाल।
3	श्री आनंद गोस्वामी	प.अ.कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व, मंडला।	स.व.स. कार्या.प्र.मु.व.स. भोपाल।
4	श्री दिलीप कुमार पंचभाई (5.0) 27-7-56	प.अ. नारंगी क्षेत्र जबलपुर जबलपुर (सा.) व.मं।	सहायक वन संरक्षक, एस.एफ.आर.आई. जबलपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
5	श्री नवल सिंह धुर्वे (5.1)	प.अ. टिकरिया (सा.) पश्चिम मंडला (सा.) व.मं।	स.व.स. कार्या.प्र.मु.व.स. भोपाल।
6	श्री श्याम मुद्गल (5.11)	प0अ0 राजगढ़ व.मं राजगढ़ (सा0)।	स.व.स. कार्या.प्र.मु.व.स. भोपाल।
7	श्री के.के.गोखल 5-1-57 (30)	वनक्षेत्रपाल कार्य आयोजना खंडवा।	स.व.स. कार्या.प्र.मु.व.स. भोपाल।

2. उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 21 सन् 1984) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

①  
24/8  
D1

4. पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डी. डी. अग्रवाल)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग

क्रमांक एफ 3-34/2004/10-1

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 2006

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी वन/राज्य मंत्रीजी वन।
  - 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र., भोपाल।
  - 4- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
  - 5- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा राज.) एवं (प्रशा अराज.) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
  - 6- सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
  - 7- संचालक एस.एफ.आर.आई. जबलपुर।
  - 8- संबंधित वन संरक्षक, वन वृत्त।
  - 9- संबंधित वन मंडलाधिकारी।
  - 10- संबंधित अधिकारी।
  - 11- संयुक्त संचालक, जन संपर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय, भोपाल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डी. डी. अग्रवाल)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग

कार्यालय  
मं 3-34/2004/10-1  
मं 3-34/2004/10-1

मं 3-34/2004/10-1  
प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, वन  
संरक्षक (कार्बनपोजना) खजूरवा, संचालक एस.एफ.आर.आई.  
जबलपुर की ओर सूचना/कार्यालय/मं 3-34/2004/10-1  
कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

भोपाल दिनांक 17/8/06

अपर प्रधान मुख्य स. (प्रशा. अराज.)

भोपाल  
मं 3-34/2004/10-1



✓  
SC  
3  
13-5-58  
51

905  
15/5/08

(51) भोपाल, दिनांक / अगस्त, 2006  
क्रमांक एफ.3-3-10/10-1: राज्य शासन एवं द्वारा श्री एम. अजमेर, वन क्षेत्रपाल, कार्य  
भार को, इन्हीं के स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से  
रीजर्व वन सेवा के अतिरिक्त श्रेणी वेतनमान रूपये 8,000-275-13,500 में पदोन्नत करते हुए  
सहायक वन संरक्षक, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, भोपाल के पद  
पर पदस्थ किया जाता है।

2. उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के  
अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदान की गई है।

3. पदोन्नति किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित  
जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 21 सन् 1984) तथा  
मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के  
उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(अनिल तिवारी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक अगस्त, 2006

क्रमांक एफ. 3-3-10/10-1

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (आरक्षण), माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी वन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. सह क्षेत्रपाल, कार्यालय वन विभाग।
4. आरक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रधान) राज्य एवं (प्रशासन अगस्त) वन विभाग।

अपर सचिव,

पञ्जाब प्रशासन, वन विभाग

कार्यालय

पञ्जाब प्रशासन वन-खोरसत म. प्र. भोपाल

स. न. प्रशा. असा. / गोप. /

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :- वन-खोरसत कार्य-आयोजना-इकाई की-  
ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई के-  
आश्रेष्ठ ।

17.8.06

अपर सचिव, मु. व. स. (प्रशा.)  
म. प्र. भोपाल

मंत्रालय

इस्लाम भवन भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक अगस्त, 2006

क्रमांक एफ. 3-34/2004/10-1 : राज्य शासन एतद् द्वारा श्री आर.के.भट्ट, वन क्षेत्रपाल, वन मंडल श्यांपुर को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8,000-275-13,500 में पदोन्नत करते हुए अनुदेशक, वन विद्यालय, शिवपुरी के पद पर पदस्था किया जाता है।

- उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।
- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनिसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 21 सन् 1984) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।
- यह पदस्थापना आदेश दिनांक 03/08/2005 से प्रभावशील माना जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(अनिल तिवारी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठान्त क्रमांक एफ.3-34/2004/10-1

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 2006

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी वन।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।
- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन राज) एवं (प्रशासन अराज) सतपुड़ा भवन भोपाल।
- सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर म.प्र.।
- वन संरक्षक, वृत्त ग्वालियर/शिवपुरी।
- वन मंडलाधिकारी श्यांपुरकला/शिवपुरी।
- श्री आर.के.भट्ट वन क्षेत्रपाल, वन मंडल श्यांपुर म.प्र.।
- संयुक्त संचालक, जन संपर्क, प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



डा. कमलेश्वर  
A.P. C.C.F. (Adm. Gax.)  
BHO PAL





भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 2006

कार्यालय एफ 3-43/2004/10-1 राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तर्क दिनांक 08/08/2003 से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपरे 8,000-275-13,500 में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर पदस्थ करता है -

अ. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त नवीन पदस्थापना
1	श्री राजेश कुमार शरकडे	पारक्षेत्र अधिकारी सिछिया (सा.)पूर्व मंडला(सा.) वन मंडल मंडला	उप प्रबंधक, लघुवनापन्न संघ (प्रतिनियुक्ति पर)
2	श्री कमल सिंह मत्ताराम	पारक्षेत्र अधिकारी, कोतमा (सा.)वन मंडल अनूपपुर(सा.)	उप प्रबंधक, लघुवनापन्न संघ (प्रतिनियुक्ति पर)

27/8

वन विभाग (प्रका. प्रत्यक्ष)  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (असाक)  
म.प्र. भोपाल

16/8

- श्री राजेश कुमार शरकडे की वरीयता श्री सियाराम मेहता, सहायक वन संरक्षक के ऊपर तथा श्री महेश सिंह लड़के के नीचे निर्धारित (आगामी पदक्रम सूची में) की जावेगी।
- श्री कमल सिंह मत्ताराम की वरीयता श्री सियाराम मेहता के नीचे तथा श्री मुन्नालाल कुलेश, सहायक वन संरक्षक के ऊपर निर्धारित (आगामी पदक्रम सूची में) की जावेगी।
- उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।
- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनिसूचित जनजातियों और विछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 21 सन 1984) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी विनिर्देशों का पालन किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(अनिल तिवारी)  
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग  
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 2006

पृष्ठ 10 क्रमांक एफ 3-43/2004/10-1

प्रतिनिधि-

सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी वन।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल।
  2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल।
  3. अध्यक्ष स. अ. म. प्र. राज्य सघु वनमंज संघ भोपाल।
  4. महालेख, कार. मध्यप्रदेश म्चलियर।
  5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन राज.) एवं (प्रशासन अराज.) सतपुडा भवन भोपाल।
  6. सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर म.प्र.।
  7. संबंधित वन संरक्षक, वन वृत्त।
  8. संबंधित वन मंडलाधिकारी।
  9. संबंधित अधिकारी-द्वारा-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन राज.) भे
  10. संयुक्त संचालक, जन संपर्क, प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अंग्रेषित।

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग।

कार्यालय

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

संक्र ५१११ अ/ 4220

दिनांक 24/8/06

सचिव:- वन संरक्षक जखनपुर, शहडोल  
 एवं संबंधित वनमंडलाधिकारी मंडल मध्य प्रदेश बाण्डोली  
 वन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक  
 कार्रवाई हेतु अंग्रेषित है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. अराज.)

म.प्र. भोपाल

24.8.06  
 ओ. के. मेहर




मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


संशोधन

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2006

क्रमांक एफ-3-43/2004/10-1: राज्य शासन द्वारा वन क्षेत्रपालों को राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत करते हुए पदस्थापना संबंधी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त, 2006 के अ. क. 1 पर अंकित श्री गजेश कुमार बरकडे के नाम के सम्मुख वर्तमान पदस्थापना के कालम में परिक्षेत्र अधिकारी बिछिया (सा.) पूर्व मंडला (सा.) वन मंडल मंडला के स्थान पर परिक्षेत्राधिकारी कोतमा (सा.) वन मंडल अनूपपुर तथा अ.क. 2 पर अंकित श्री कमल सिंह मसराम के नाम के सम्मुख वर्तमान पदस्थापना के कालम में परिक्षेत्राधिकारी कोतमा (सा.) वन मंडल अनूपपुर (सा.) के स्थान पर परिक्षेत्राधिकारी बिछिया (सा.) पूर्व मंडला (सा.) वन मंडल मंडला पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
( आर. पी. त्रिपाठी )  
अवर सचिव

 मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ-3-43/2004/10-1  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक अगस्त, 2006

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन / राज्यमंत्री, वन ।
  - 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  - 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी म.प्र., भोपाल ।
  - 4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशा.राज. एवं प्रशा.अराज. भोपाल ।
  - 5- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
  - 6- सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
  - 7- संबंधित वन संरक्षक .....
  - 8- संबंधित वन मंडलाधिकारी .....
  - 9- संबंधित अधिकारी .....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय

अधीन मुख्य वन संरक्षक

क्रमांक एफ-3-43/2004/10-1/4478



भोपाल दिनांक 4/9/06

वन संरक्षक गजेश कुमार बरकडे / संबंधित अधिकारी

मुख्य सचिव वन विभाग, भोपाल

भोपाल

भोपाल

Handwritten text at the bottom of the page, including the word "TOTAL" and some illegible numbers and names.



Hi SC ST  
6-11 (42)

✓  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 06 जुलाई, 2006

क्रमांक एफ 3-34/2004/10-1: राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8,000-275-13,500 में पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर पदस्थ करता है :-

अ क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
①	श्री आर.बी.सिंह	परिक्षेत्र अधिकारी बरघाट द.सिवनी सामान्य वन मंडल।	उप वनमंडल अधिकारी, बिछिया (उत्पा0) मंडला (उत्पा0) व0म0।
②	श्री एस.के.सय	वन क्षेत्रपाल, दमोह. (सा0) व0म0।	संलग्न अधिकारी, वृत्त कार्यालय, बैतूल।
③	श्री बी.पी.एस.प्रिहार	परिक्षेत्र अधिकारी पूर्ण करजिया डिंडोरी (सा0) व0म0।	संलग्न अधिकारी, वृत्त कार्यालय, छिंदवाड़ा।
④	श्री ए.के.तिवारी	वन क्षेत्रपाल, अजयगढ़, उत्तर पन्ना (सा0) व0म0।	सहायक वन संरक्षक, पंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी।
5	श्री आर.बी.सिद्ध	वनक्षेत्रपाल, पर्यावरण इंदौर वनमंडल।	संलग्न अधिकारी, वृत्त कार्यालय, शिवपुरी।
6	श्री एस.एस.चतुर्वेदी	प0अ0 राजेन्द्रग्राम, अनूपपुर (सा0) व0म0।	सहायक वन संरक्षक, कार्या0 प्र0मु0व0स0 म0प्र0 भोपाल।
7	श्री रतन सिंह विरोलिया	प0अ0 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर)।	प्रभारी एन्टी पोचिंग स्क्वाड, इटारसी।
8	श्री जॉन तिकी	वन क्षेत्रपाल कार्य-आयोजना, सागर।	सहायक वन संरक्षक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर)।


2 उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

3 प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़े वर्गों के शिष्ट आरक्षण) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 21 सन् 1984) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और क्रमशः पृष्ठ 2

जाय  
अपर प्रधान मु.व.स. (प्रशा. अराज.)  
भोपाल  
12/5  
आवक  
778  
31/7/06

उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(डी. डी. अग्रवाल)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग

क्रमांक एफ 3-34/2004/10-1

भोपाल, दिनांक 06 जुलाई, 2006

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी वन।
- 2 अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास, विभाग/उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), म.प्र. भोपाल।
- 5- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 6- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा राज) एवं (प्रशा अराज) सतपुडा भवन, भोपाल।
- 7- सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 8- संबंधित वन संरक्षक, वन वृत्त।
- 9- वन मंडलाधिकारी
- 10- संबंधित अधिकारी - द्वारा - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज), भोपाल।
- 11- संयुक्त संचालक, जन संपर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय, भोपाल की आर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिपित।



(डी. डी. अग्रवाल)  
उप सचिव

आपीएम

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज) सतपुडा भवन भोपाल मध्य  
प्रदेश (म.प्र. शासन-जो०)  
भोपाल सि०

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, सिवनी, सागर, अखिलपुर धारपुर  
इंदौर, अहमदनगर



मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 8 मई, 2006

क्रमांक एफ 3-42/2003/10-1: राज्य शासन एतद द्वारा श्री कर्णवीर सिंह, वन क्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक दिनांक 8-8-2003 से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8000-275-13500 में पदोन्नत करते हुए उन्हें उप प्रबंधक, म. प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

2/ श्री कर्णवीर सिंह को "काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर सरियर्स की पात्रता नहीं होगी, परन्तु उनकी वरिष्ठता श्री जे. के. शर्मा, सहायक वन संरक्षक के नाम के नीचे निर्धारित आगामी पदक्रम सूची में की जावेगी।

3/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तों नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 तन् 1984 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

अनिल तिवारी

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 3-42/2003/10-1

भोपाल, दिनांक 8 मई, 2006

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।
- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।

112/1

- 3- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशा. राज. एवं प्रशा. अराज. §
  - 4- संबंधित वन संरक्षक द्वारा अ. प्र. मु. व. सं. § प्रशा. अराज. § भोपाल ।
  - 5- प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल ।
  - 6- संबंधित वन मण्डलाधिकारी- द्वारा- अ. प्र. मु. व. सं. § प्रशा. अराज. § भोपाल
  - 7- श्री कर्णवीर सिंह, वन क्षेत्रपाल द्वारा- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक § प्रशा. अराज. § भोपाल की
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

§ अमिता तिवारी §  
अपर सचिव

शकशावा  
9/5/06

===

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, म०प्र०, भोपाल

पृ०कमांक/प्रशा०राज०/रा०व०से०/ 1846

भोपाल, दिनांक 9/5/06

प्रतिलिपि:-

- 1/ प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल ।
- 2/ वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, म०प्र० ।
- 3/ वन मण्डलाधिकारी, उत्तर शहडोल, (सामान्य) वन मण्डल, म०प्र०  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कृपया शासनादेश दिनांक 8-5-06 की एक प्रति संबंधित अधिकारी को सौंपकर स्थानीय व्यवस्था से तत्काल भार मुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें ।

(नरेन्द्र कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा०राज०)  
म०प्र०, भोपाल



मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल



1

33

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006

क्रमांक एफ 3-34/2004/10-1 राज्य शासन एतद् द्वारा श्री आर.के. सक्सेना, वन क्षेत्रपाल, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8000-275-13,200 में पदोन्नत करते हुए उप वन मंडलाधिकारी, बरेला (उत्पादन) मंडला (उत्पादन) वन मंडल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2. उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1984) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

यह पदोन्नति आदेश दिनांक 03/08/2005 से प्रभावशील माना जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(सुनीता त्रिपाठी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग



एफ 3-34/2004/10-1

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006

प्रतिलिपि-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।
- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज.) एवं (प्रशा. अराज.) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 4- संबंधित वन संरक्षक, वन वृत्त, .....
- 5- संबंधित वन मंडलाधिकारी .....
- 6- श्री आर.के. सक्सेना, वन क्षेत्रपाल, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सा/अ/अ/अ

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. अराज.)

21/3/06

(सुनीता त्रिपाठी)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

①  
29

// आदेश //


भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2006

क्रमांक एफ 3-34/2004/10-1 राज्य शासन एतद् द्वारा श्री **व्ही के रेना**, वन क्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8000-275-13,200 में पदोन्नत करते हुए सहायक वन संरक्षक, संलग्न अधिकारी वन संरक्षक, कार्यालय जबलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1984) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

यह पदोन्नति आदेश दिनांक 1/1/2006 से प्रभावशील माना जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(मीनाक्षी मालवीया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग

क्रमांक एफ 3-34/2004/10-1

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2006

प्रतिलिपि:-

1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।

जा

मान मु.व.स. (प्रशा. अराज्)

म.प्र. भोपाल

6/2/06

2/3  
05/2  
AUF

3  
म.प्र. शासन  
क. 136  
6/2/06  
4वाला (क.प्र.)



- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भागल।
- 3- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज.) एवं (प्रशा. अराज.) सतपुडा भवन, भोपाल।
- 4- संबंधित वन संरक्षक, वन वृत्त.....
- 5- वन मंडलाधिकारी.....
- 6- श्री व्ही. के. रैना, द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*(Signature)*  
31/2/06  
(मीनाक्षी मालवीया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

3  
2  
SC  
T  
32

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2006

क्रमांक एफ. 3-34/2004/10-1: राज्य शासन स्तर द्वारा निम्नांकित वनक्षेत्रपालों का स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रु. 8,000-275-13,200 में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख दशायि गेय पद पर पदस्थ करता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1-	श्री जे. एल. अहिरवार	डिपो आफिसर, बैतूल & उत्पादन & व0मं0, बैतूल	उप प्रबंधक, लघु वनोपज संघ & प्रतिनियुक्ति पर &
2-	श्री आर. के. मिश्रा	कार्य आयोजना सिवनी	उप प्रबंधक, राज्य लघु वनोपज संघ & प्रतिनियुक्ति पर &
3-	श्री व्ही. के. शर्मा	न0धा0धि0ग्रा0 & प्रतिनियुक्ति पर &	सहायक वन संरक्षक, शुभसंधान एवं वित्तार केन्द्र, यण्डवा

2/ उर्पयुक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा को सामान्य शर्तों नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित वनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1964 क्रमांक 21 सन 1984 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है।

4/ यह पदस्थापना आदेश दि. 1-1-2006 में प्रभावशालि रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*[Signature]*

डॉ. डॉ. अग्रवाल

उप राज्यपाल

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ-तांकन क्र. एफ. 3-34/2004/10-1 भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2006

प्रतिलिपि:-

1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।



- 3/
- 4/
- 5/
- 6- संबंधित अधिकारी-..... द्वारा-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशा. / राज. ई. म. पु., भोपाल को तार द्वारा सूचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

डॉ. डी. अग्रवाल  
अपर सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, म०प्र०, भोपाल

पृ०कमाक/प्रशा०राज०/रा०व०से०/ 167

भोपाल, दिनांक 12-1-06

प्रतिलिपि:-

- (1) वन संरक्षक, बैतूल/अनुसंधान विस्तार केन्द्र खण्डवा, कार्य आयोजना, शिबनी (म०प्र०)।
- (2) सचिव, नर्मदा घाटी, विकास प्राधिकरण, भोपाल।
- (3) प्रबंध संचालक, म०प्र० लघु वनोपज संघ, भोपाल।
- (4) वन मण्डलाधिकारी, (उत्पादन) वन मण्डल, बैतूल, म०प्र० को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कृपया शासनादेश दिनांक 12-1-06 संबंधित अधिकारी को सीपकर स्थानीय व्यवस्था से भारमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करें।

(नरेन्द्र कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा०राज०)

म०प्र०, भोपाल